Loans to M/s. Bharat Hotels, New Delhi by Public Financial Institutions

1474. DR. SHANTI G. PATEL:
DR. MAHABIR PRASAD:

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government have issued any instructions to the financial institutions which have given loan to M/s. Bharat Hotels, New Delhi to penalise the firm for violating the terms of contract;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have permitted M/s. Bharat Hotels, New Delhi to change its complex into "World Trade Centre"; and

(d) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The hote project, as approved by the Department of Tourism, has not been converted for use for any other purpose. At the time of the appraisal of the Hotel project by the financial institutions, it was envisaged that the Company would take up construction of a commercial block separately for sub leasing/licensing which did not come under the scope of the Project financed by the financial institutions.

The Company was given permission by the New Delhi Municipal Committee in October, 1983 to construct a hotel with 500 guest rooms of the requisite standard and also use balance area for commercial purposes as per the provisions of the Licence Deed. M/s. Bharat Hotels, New Delhi also propose to construct a separate tower as "Office Complex" for which it has obtained the approval of N.D.M.C. The Hotel Co. is understood to have given the name of "World Trade Centre" to their commercial complex for identification purpose.

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अधीन रोहतक के बावा ज्वेलर्स और मल्होत्रा ज्वेलर्स के विरुद्ध जांच

1475. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के रोहतक शहर के बावा ज्वेलर्स और मल्होत्रा ज्वेलर्स ने पिछले तीन वर्षों में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के तहत कितने सोना, चांदी एवं अन्य जवाहरातों का व्यापार किया;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त व्यापारी स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और वे फर्जी खाते बही रखते हैं और उन्होंने अवैध व्यापार के द्वारा भारी सम्पत्ति प्राप्त कर ली है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कारवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत चांदी तथा चांदी के जेवरातों में किये गये व्यापारिक लेन देन पर कोई लेखा सम्बन्धी नियंत्रण नहीं है तथा इस प्रकार यह बताना सम्भव नहीं है कि उन्होंने कितना व्यापार किया गत तीन वर्षोंके दौरान स्वर्ण जेवरातों की कुल व्यापार की मात्रा नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	मैसर्स बावा ज्वैलर्स (ग्राम में)	मैसर्स मल्होत्रा ज्वैलर्स (ग्राम में)
1981	51459.105	39214.033
1982	59014.220	32736.999
1983	56565.335	2 [illegible]29.560

(ख) से (घ) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के उपबन्धों के किसी उल्लंघन की सूचना नहीं

मिली है । स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत नियमित समयान्तरालों पर जांच पड़ताल की जा रही है । जहां तक बहुत बड़ी मात्रा में सम्पत्ति अर्जन करने का संबंध है यह सूचित किया गया है कि मैसर्स बावा ज्वैलर्स की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है । केवल फर्म के साझेदारों के पास ही कुछ सम्पत्तियां हैं जिन्हें उनकी धनकर विवरणियों में घोषित किया गया है । आयकर विभाग की जानकारी में ऐसी बात नहीं आई है जिससे यह पता चले कि ये सम्पत्तियां गैर कानूनी व्यवसाय में लिप्त होकर प्राप्त की गई हैं । बावा ज्वैलर्स के सम्पत्ति अर्जन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा एटलस कम्पनी को ऋण

1476. **श्री हुकमदेव नारायण यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटलस कम्पनी, सोनीपत, हरियाणा को विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा अब तक किस प्रकार के कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं और इस प्रकार का निवेश कम्पनी के कुल निवेश का कितना प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं (विश्वसनीयता तथा गोपनीयता से सम्बन्धित बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबन्धों और इन संस्थाओं के परिचालनों को नियंत्रित करने वाली अन्य संविधियों के अनुसार संस्थाओं के अलग-अलग ग्राहकों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती । चूंकि प्रश्न में पूछे गए ब्यौरे एक ग्राहक से सम्बन्धित हैं, इसलिए ये ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते ।

Export of Essential Commodities

1477. SHRIMATI KANAK MUKHMUKHERJEE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state the value of each essential commodity exported during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANAN LASKAR): The primary object of the Government is to promote exports to the maximum extent, but in such a manner that the economy of the country is not affected by unregulated exports of essential items needed within the country. Export control is, therefore, exercised in respect of a limited number of items whose supply position demands that their exports should be regulated in the larger interest of the country.

The details of commodity-wise exports /imports in respect of essential and other commodities are available only upto September, 1982. Moreover, the descriptions of the items in terms of the trade classification also do not match precisely with the descriptions of the essential commodities.

The statistics in respect of selected items of exports pertaining to essential commodities for 1981-82 and for the first half of 1982-83 are indicated below:—

Value: Rs. Lakhs

Items/Group of items	1981-82	April—September 1982 (Provisional)
Rice (Basmati & Non-Basmati)	36778	12276
Wheat	56	—
Gram	6	8
Masoor (Lentil)	24	25
Groundnut Oil	21	—
Milk & Cream	58	5
Fish & Fish preparation	28034	17201
Meat and Meat preparation	7955	3515
Potato	52	105
Onion fresh	2944	1851
Cane sugar refined	4918	1882
Cane Jaggery	50	25
Chillies	242	471
Tea and mate	39520	15023
Matches	10	2
Common Salt	80	227
Washing soap	81	9
Coal, coke and briquettes	396	221
Cotton fabrics	29455	11599